पखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
कारीः–श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.
:–75/2019 प्रार्थना पत्र

ल पिता देबीलाल जाट, उम्र बालिग निवासी नई ईरास तहसील व जिला भीलवाड़ा
ाल पिता देबीलाल जाट, उम्र बालिग निवासी नई ईरास तहसील व जिला भीलवाड़ा
पुत्री देबीलाल जाट, उम्र बालिग निवासी नई ईरास तहसील व जिला भीलवाड़ा
देबीलाल जाट, उम्र बालिग निवासी नई ईरास तहसील व जिला भीलवाड़ा
पत्नि देबीलाल जाट, उम्र बालिग निवासी नई ईरास तहसील व जिला भीलवाड़ा
पत्नि उगमा जाट, उम्र बालिग निवासी नई ईरास तहसील व जिला भीलवाड़ा
)

–––––प्रार्थीगण

बनाम

ालाल पिता नगजीराम तेली, उम्र बालिग निवासी सांगानेरी गेट–भीलवाड़ा तहसील व जिला (राजस्थान)
पिता उगमा जाट, उम्र बालिग निवासी नई ईरास तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
लाल पिता मोहनलाल कुम्हार, उम्र बालिग निवासी नई ईरास तहसील व जिला भीलवाड़ा
लाल पिता मोहनलाल कुम्हार, उम्र बालिग निवासी नई ईरास तहसील व जिला भीलवाड़ा
मोहनलाल कुम्हार, उम्र बालिग निवासी नई ईरास तहसील व जिला भीलवाड़ा
पत्नि मिठू कुम्हार, उम्र बालिग निवासी नई ईरास तहसील व जिला भीलवाड़ा
ोश पिता मीठू कुम्हार, उम्र बालिग निवासी नई ईरास तहसील व जिला भीलवाड़ा
पिता मिठू कुम्हार, उम्र बालिग निवासी नई ईरास तहसील व जिला भीलवाड़ा
राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

–––––विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य :: दिनांकः–24.5.2019

वकील प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–ेधिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम ईरास का सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 3675/2 रकबा 1 बीघा 0 बिस्वांसी, 3676/4 रकबा 16 बिस्वा, कुल किता 2 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा 10 बिस्वांसी ण के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थीगण के खाते ाश्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद ते रहते हैं। इस कारण प्रार्थीगण अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा के लिये पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

वकील प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दिनांक 7.3.2019 को पंजीबद्व किया जाकर मन विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। जिसे त्रावली किये गये । विपक्षीगण को कितनी ही मर्तबा विधिवत् आवाजे दिलाई जाने के उपरांत ित नहीं होने के कारण दिनांक 22.5.2019 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश या गया।

वकील प्रार्थीगण ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थीगण की एक स सुनी गयी । बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि प्रार्थीगण को अपने खाते काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय,

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

ते समय सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थीगण अपने ब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आ दे श ::

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ीकार किया जाकर ग्राम ग्राम ईरास पटवार हल्का सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा में आराजी नम्बर 3675/2 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा 10 बिस्वांसी, 3676/4 रकबा 16 बिस्वा, 2 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये ादेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू–अभिलेख निरीक्षक, सुवाणा को े (तीन सौ रूपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस के पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में ो जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(टीना डाबी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 24.5.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner